



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 25.07.2022

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:—

थाना गौरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा, 14 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर) बरामद कर अभियुक्त कमलेश राना को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना गौरीफंटा पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त कमलेश राना पुत्र भन्ता राना को 14 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर) बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना गौरीफंटा पर मु0अ0सं0 35/22 धारा 8/21/23 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कमलेश राना पुत्र भन्ता राना नि0 भीकलपुर सूरमा थाना गौरीफंटा जनपद खीरी

बरामदगी-

14 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ (ब्राउन शुगर)

अभि० को गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ०नि० नागेन्द्र कुमार पाण्डेय (चौकी प्रभारी बार्डर गौरीफंटा)
2. का० चरनजीत सिंह थाना गौरीफंटा
3. हे०का० सतीश चन्द्र 39 बी वाहिनी SSB गौरीफंटा
4. हे०का० अनिल सिंह तोमर 39 बी वाहिनी SSB गौरीफंटा
5. का० मनमोहन 39 बी वाहिनी SSB गौरीफंटा
6. का० सन्तोष कुमार 39 बी वाहिनी SSB गौरीफंटा

थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा, 01 नफर वांछित अभियुक्त बाबूराम पुत्र रामदीन को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.07.22 को थाना हैदराबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 272/2022 धारा 306/504/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त बाबूराम पुत्र रामदीन निवासी देवकली थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभियुक्त बाबूराम पुत्र रामदीन निवासी देवकली थाना हैदराबाद जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक अपराध शशिशेखर यादव, थाना हैदराबाद
2. का0 अमरेन्द्र प्रताप

सड़क सुरक्षा यातायात के अंतर्गत की गई कार्यवाही



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा यातायात जागरूकता अभियान के तहत आज दिनांक 25.07.2022 को लिलौटी नाथ मंदिर तिराहे पर श्रावण मास में गोला गोकरण नाथ कांवड़ यात्रियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक के पश्चात लिलौटी नाथ मंदिर में पूजन अर्चन के लिए आते समय लिलौटी नाथ मंदिर तिराहे पर देखा गया कि एक बस के छत पर कांवरियों एवं श्रद्धालुओं द्वारा बैठकर जा रहे थे बस को तुरंत रुकवा कर कांवरियों को बस के अंदर बैठाकर एवं ट्रैक्टर ट्रालियों से श्रद्धालु/ कावड़ यात्रियों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली के जॉइंट पर एवं ट्राली के पीछे पैर लटकाकर बैठे दिखे जिन्हें रोककर यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताया गया की पीछे से कोई वाहन टक्कर मारने पर पैर में गंभीर चोट आ सकती है और ट्रैक्टर चालक द्वारा अचानक ब्रेक मारने पर ज्वाइन पर बैठे श्रद्धालु नीचे गिर सकते हैं जिससे गंभीर चोटें आ सकती है कांवरियों एवं श्रद्धालुओं से अपील की गई भविष्य में ऐसा ना करें। बस चालक/परिचालक/ट्रैक्टर चालकों एवं श्रद्धालुओं को सख्त हिदायत दी गई एवं जागरूक करते हुए बताया गया कि आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। पैदल चलते समय हमेशा अपने बाईं पटरी पर चले सड़क पार करने से पहले बाएं-दाएं देखें कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा, फिर पार करे। सड़क पर अकेले-अकेले चलना चाहिए, झुंड बनाकर नहीं चलना चाहिए, सड़क पर चलते समय मोबाईल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सड़क पर चलते समय

इयरफ़ोनस का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे।

जनपद में जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले कुल 145 वाहन चालकों का चालान मोटर यान अधिनियम के तहत किया गया।

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त कुलविन्दर सिंह पुत्र शर्मा सिंह को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी निघासन महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 25.07.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त कुलविन्दर सिंह पुत्र शर्मा सिंह नि० ग्रा० दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ ग्राम खमरिया से गिरफ्तार किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना तिकुनिया पर मु०अ०सं० 202/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

कुलविन्दर सिंह पुत्र शर्मा सिंह नि०ग्रा० दलराजपुर थाना सिंगाही जनपद खीरी

बरामदगी -

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

- 38ए/99 धारा 323/324/504 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
54/10 धारा 198 ZLR ACT थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
858/11 धारा 379/411 भादवि कोतवाली सदर जनपद गोंडा ।
38/14 धारा 41/411/414 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
205/14 धारा 41/413/307 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
35/18 धारा 8/21 NDPS ACT थाना सम्पूर्णानगर जनपद खीरी ।
420/19 धारा 8/18 NDPS ACT थाना निघासन जनपद खीरी ।
421/19 धारा 4/25 ARMS ACT थाना निघासन जनपद खीरी ।
312/19 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
347/20 धारा 307 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
349/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
350/20 धारा 8/22 NDPS ACT थाना सिंगाही जनपद खीरी ।
417/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिंगाही जनपद खीरी ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० राजकुमार भारती, थाना तिकुनिया
2. हे०का० सुभाष निषाद
3. का० राजकुमार
4. का० खिलेन्द्र

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, 09 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 25.07.22 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा विभिन्न अभियोगों से संबंधित 09 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1-शाहबुद्दीन पुत्र नन्हू निवासी भंसडिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित वाद संख्या 765/2017 धारा 420 भादवि0
- 2-अशोक पुत्र सियाराम पासी निवासी भंसडिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या 522/2018 धारा 398 भादवि0
- 3-अशोक पुत्र सियाराम पासी निवासी भंसडिया थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 3893/2014 धारा 60 EX ACT
- 4-अशोक पुत्र सियाराम पासी निवासी भंसडिया थाना कोतवाली सदर जिला खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 1344/2003 धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधिनियम
- 5-चन्दन मिश्र पुत्र राकेश मिश्र निवासी सिटी मान्टेसरी इन्टर कालेज कपूर थला थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 60/2020 धारा 138 NI ACT
- 6-छोटू उर्फ हसरत पुत्र छेद्दू निवासी गोल्हवापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 9766/2016
- 7-ताहिर पुत्र अब्दुल हामिद निवासी रंगीलानगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 12/2017 धारा 41/411/413/420/419/467/468/471 IPC

8-मनोज वर्मा पुत्र नेकरू वर्मा निवासी मोहल्ला गणेश नगर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 1456/2018 धारा 2/3 गैगेस्टर अधिनियम
9-शाहिद पुत्र अहमद अली निवासी देउवापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी सम्बन्धित मुकदमा नम्बर 1293/2017 धारा 498A/323/506 IPC व 3/4 DP ACT

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम

- 1-उ0नि0 रनजीत सिंह यादव, (चौकी प्रभारी LRP) थाना कोतवाली सदर
- 2-उ0नि0 कमलेश कुमार (चौकी प्रभारी रामापुर) थाना कोतवाली सदर
- 3-उ0नि0 साधना यादव (चौकी प्रभारी मिश्राना) थाना कोतवाली सदर
- 4-उ0नि0 लल्ला गोस्वामी (चौकी प्रभारी संकटादेवी) थाना कोतवाली सदर
- 5-उ0नि0 टीटू कुमार चौकी प्रभारी राजापुर थाना कोतवाली सदर
- 6-हे0का0 अविनाश सिंह थाना कोतवाली सदर
- 7-का0 अनुराग वर्मा थाना कोतवाली सदर
- 8-का0 अनूप कुमार थाना कोतवाली सदर
- 9-का0 मोनू गुप्ता थाना कोतवाली सदर
- 10-का0 शुभम गंगवार थाना कोतवाली सदर
- 11-का0 शाहिद खां थाना कोतवाली सदर
- 12-का0 फरमान अहमद थाना कोतवाली सदर
- 13-का0 सुमित कुमार थाना कोतवाली सदर
- 14-का0 शिवम शर्मा थाना कोतवाली सदर

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र प्रभुदयाल को गिरफ्तार किया गया



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी महोदय के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 25.07.2022 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान ग्राम ग्राम सिकटारा से अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम सिकटारा थाना पसगवां जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 338/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करके अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अरुण कुमार पुत्र प्रभुदयाल निवासी ग्राम सिकटारा थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगी का विवरण

01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

पुलिस टीम

1. उ0नि0 आदित्य प्रताप सिंह, थाना पसगवां

2. हे0का0 अनिल कुमार, थाना पसगवां

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व समाज विरोधी अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलायें जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.07.2022 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 नफर अभियुक्तों को शमशान घाट के पास वहद ग्राम सुथना बरसोला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते व कुल 1,100 रू० बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना तिकुनिया पर मु०अ०सं० 200/2022 धारा 13 जुआ अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. हंसराज गर्ग पुत्र स्व० रामनरायन गर्ग निवासी कस्बा व थाना तिकुनिया जनपद खीरी
2. मोहम्मद तालिब हासमी पुत्र मो० आबिद हासमी निवासी ग्राम सुथना बरसोला थाना तिकुनिया जनपद खीरी
3. नयूम शाह पुत्र अयूब शाह निवासी कस्बा व थाना तिकुनिया जनपद खीरी
4. सूरज कुमार पुत्र सरवन कुमार निवासी कस्बा व थाना तिकुनिया जनपद खीरी

बरामदगी:-

52 अदद ताश के पत्ते
1,100 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० योगेश कुमार, थाना तिकुनिया
2. का० अवनीश कुमार
3. का० संजीव कुमार
4. का० शिवकुमार
5. का० हरिकेश सिंह

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा, 50 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.07.22 को थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अभियुक्त जोगेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम सहनखेड़ा थाना तिकुनिया जनपद खीरी को 01 अदद काले रंग की रबड़ की ट्यूब में 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना तिकुनिया पर आबकारी अधि० की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

जोगेन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम सहनखेड़ा थाना तिकुनिया जनपद खीरी

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु०अ०सं० 201/22 धारा 60(2) Ex. Act

बरामदगी:-

50 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० राजकुमार भारती, थाना तिकुनिया
2. उ०नि० योगेश कुमार
3. का० अवनीश कुमार
4. का० संजीव कुमार
5. का० प्रशांत तेवतिया

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही निम्न कार्यवाही की गई है:-

1. थाना खीरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 331/22 धारा 323/504/306 भादवि में वांछित 02 नफर अभियुक्ताओं रिन्की पत्नी वीर सिंह, रीता पत्नी हरकरण व 01 नफर अभियुक्त कमलेश पुत्र प्रहलाद नि0गण सुन्डा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया ।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 145 लीटर अवैध शराब बरामद कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **145 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **03** अवैध शराब भट्टी बरामद कर **07 अभियुक्तों** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए।